



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर
ज्योतिरावफुले सर्किल के पारा, नयाबास, अलवर (राज0) - 301001

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ18()एफसीए/उवसं-अल./2023/ 1020
प्रेषिति,

दिनांक : 15/03/2023

मुख्य प्रबन्धक,
400 के.वी. डी/सी (TWIN-HTL),
सीकर-II-नीमराना ट्रांसमिशन लाईन,
सीकर राजस्थान।

विषय:- Construction of Sikar-II-Neemrana 400 KV D/C transmission line (Twin HTLS) District-Sikar, Jhunjhunu, Jaipur & Alwar (Raj.) route length-126.290 km in Rajasthan portion (Total route length 134.810 km).

संदर्भ:- Proposal No. : FP/RJ/TRANS/143945/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से Proposal No. : FP/RJ/TRANS/143945/2021 की सैद्धान्तिक स्वीकृति उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र 8B/RAJ-034/2022-JPR दिनांक 22.12.2023 द्वारा जारी की गई है (प्रति संलग्न)।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त (ए) संख्या 01, 02 व 04 की गणक पत्र अनुसार राशि 3291750+5234076+3726318=12252144/- रुपये क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।

उक्त राशि जमा कराते हुए शर्त (ए) संख्या 03 के अनुसार इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में वृद्धि होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करा दी जायेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रत्येक शर्त की अनुपालना तथा वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं गणक पत्र)

भवदीय,

(ए.के. श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

गणक पत्र

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/143945/2021

Construction of Sikar-II-Ncemrana 400 KV D/C transmission line (Twin HTLS) District-Sikar, Jhunjhunu, Jaipur & Alwar (Raj.) route lenth-126.290 km in Rajasthan portion (Total route lenth 134.810 km) की प्रथम स्वीकृति उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8बी/राज.034/2022/जेपीआर दिनांक 22.12.2022 से जारी हो चुकी है। प्रथम स्वीकृति की पालना हेतु भारत सरकार के उक्त पत्रांक के निर्देशानुसार यूजर एजेंसी से नियमानुसार राशि वसूल की जानी है।

1. शर्त (ए) संख्या 01के अनुसार क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि- $18 \times 182875 = 3291750$ /-
2. शर्त (ए) संख्या 02 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 05.4648 है0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि $05.4648 \times 957780 = 5234076$ /-
3. शर्त (ए) संख्या 04 के अनुसार मेडिशनल प्लांट वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि $05.4648 \times 681876.32 = 3726318$ /-
4. शर्त (बी) संख्या 04 के अनुसार वन भूमि पर स्थल 100 पेडों के (यूजर एजेंसी के खर्च पर) पातन हेतु राशि:- 20066/-

सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार राशि $3291750 + 5234076 + 3726318 = 12252144$ /- रुपये कैम्पा फण्ड खाता संख्या 520101263743681 कॉरपोरेशन बैंक सी.जे.ओ.ए कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में जमा कराकर प्राप्ती रसीद इस कार्यालय को भिजवायें एवं प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में स्थित वनस्पति के 20066/- रुपये का डी.डी उप वन संरक्षक, अलवर के नाम भिजवायें।

(ए.के. श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : def.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ () एफसीए / उवसंसी / 2022-23 / 2581

दिनांक: 21/03/23

निमित्त:-

पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
जयपुर-बीकानेर बाईपास, देवीपुरा,
सीकर।

विषय:- Construction of Sikar-II- Neemrana 400 KV D/C Transmission line, (Twin HTLS) Dist- Sikar, Jhunjhunu, Jaipur and alwar(Raj) Total Route Length 134.810 In Rajasthan Portion Route length 126.290 KM.
(Proposal no. **FP/RJ/TRANS/143945/2021**)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी / राज034 / 2022-जेपीआर दिनांक 22.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी / राज034 / 2022-जेपीआर दिनांक 22.12.2022 द्वारा 13.0134 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 335 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावें :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(1) की पालना में 25 है0 वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावें :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु 51,46,297 /- (In Words Fifty One lakh Fourty Six thousand Two hundred Ninety Seven rupees only)
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(2) की पालना में एनपीवी राशि 7.5486 ha. x 9.5778 lac per ha. = 72,29,898 /- (In Words Seventy Two lakh Twenty Nine thousand Eight hundred Ninety eight rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(4) की पालना में बौने पौधे/औषधीय पौधों की राशि 49,36,941 /- (In Words Fourty Nine lakh Thirty Six thousand Nine hundred Fourty One rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या B(4) की पालना में वन भूमि पर खड़े 235 वृक्षों की कीमत राशि रूपये 1,57,603 /- (In Words One Lakh Fifty Seven Thousand Six hundred Three rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे तथा पातन की जाने वाली वन सम्पदा का

परिवहन यूजर एजेंसी स्वयं के खर्च से कर नजदीकी वन चौकी/रेंज/भंडार कार्यालय में पहुंचायेगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(5) की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या A(1), A(2), A(4) व B(4) की पालना में कुल राशि = 1,74,70,739/- (In Words One Crore Seventy Four Lakh Seventy thousand Seven hundred Thirty Nine rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।

अतः शर्त संख्या A(3, 6, 7, 8), B (1, 2, 3, 5 से 21 तक) एवं C- Specific Conditions में उल्लेखित बिन्दुओं के कम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 22.12.2022 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 05 प्रतियों एवं शर्त संख्या A(1), A(2) व B(4) की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:- 21/03/23

क्रमांक एफ सम/ 2582-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, ~~सहायक वन संरक्षक~~ को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcf.sikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ () एफसीए / उवसंसी / 2022-23 / 2711

दिनांक: 21/3/23

निमित्त:-

पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
जयपुर-बीकानेर बाईपास, देवीपुरा,
सीकर।

विषय:- Construction of Sikar-II- Neemrana 400 KV D/C Transmission line, (Twin HTLS) Dist- Sikar, Jhunjhunu, Jaipur and alwar(Raj) Total Route Length 134.810 In Rajasthan Portion Route length 126.290 KM.
(Proposal no. FP/RJ/TRANS/143945/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज034/2022-जेपीआर दिनांक 22.12.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 2581 दिनांक 21.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज034/2022-जेपीआर दिनांक 22.12.2022 द्वारा 13.0134 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव में जमा होने वाली राशि का मांग पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 2581 दिनांक 21.03.2023 द्वारा जारी किया गया है। उक्त पत्र में बिन्दु संख्या 04 के क्रम में कैम्पा फण्ड में जमा की जाने वाली राशि रूपये 1,57,603/- (अक्षरे एक लाख सत्तावन हजार छः सौ तीन रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावें।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:- 21/3/23

क्रमांक एफ सम/ 2712-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर